

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 36417 Complaint or report made on

Name and address of the Complainant

.....  
.....  
.....  
.....

Name, parentage, caste and address of accused

इस पीठ 10 सप्तम्बर 1985  
मि० - धर्मगो चाना मामनर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 29/10/12 मुकाम  
पर बिना वैध अनुज्ञा के अपने  
आधिपत्य में ..... लीटर/पाव/बोतल 22 शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। यूं दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

इदानी

.....  
.....  
.....



// निर्णय //


(आज दिनांक 19/12/12 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायालय उज्जैन तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 5000/- में प्राज्ञेय रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर प्राज्ञेय का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति 22 व्याल/पाव/बोतल 22 शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावे। अपील के कारण अपील न्यायालय के आदेश का

  
मायिक मजिस्ट्रेट  
पथर बाजार  
जिला कोटा